प्रकरण संख्या 12/2017 2017/00026 ता0 रजू 03.07.2017

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा – प्रार्थी

बनाम

किरोडी लाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत इनायती तहसील सपोटरा जिला करौली – अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सीज्ड किये गये 57 क्विं. 70 किलो 400 ग्राम गेहूँ एवं 990 लीटर केरोसीन को राजसात् करने बाबत्

निर्णय

दिनांक 04.09.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया के दिनांक 11.05.2017 से 13.05.2017 तक जिले के भ्रमण के दौरान खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जॉच दल द्वारा श्री किरोडी लाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत इनायती तहसील सपोटरा की दिनांक 13.05.2017 से 14.05.2017 तक जॉच की गई जिसमें निम्न अनियमिततायें पायी गयी–

1. वक्त जॉच उचित मूल्य दुकान बन्द पाई गई, दुकान बन्द होने का दुकान पर कोई कारण अंकित नही करना, उचित मूल्य दुकान का टाईटल बोर्ड प्रदर्शित नहीं करना।
2. मौके पर उपभोक्ताओ ने बताया कि डीलर द्वारा माह अप्रैल 17 के गेहू का वितरण नहीं करना, निर्धारित स्थल पर राशन सामग्री का भण्डारण नहीं करना, स्टॉक मूल्य एवं वितरण मात्रा का प्रदर्शन नहीं करना।
3. उपभोक्ताओं ने बताया कि डीलर द्वारा 5 किलो ग्राम प्रति यूनिट के स्थान पर 4 किलो ग्राम प्रति यूनिट से गेंहू का वितरण करना। नियमित दुकान नहीं खोलना, मनमर्जी से गेंहू का वितरण करना। एक राशनकार्ड पर अधिकतम 25 किलो ग्राम गेंहू ही देना।
4. डीलर की दुकान पर सितम्बर 16 से बक्त जॉच दिनांक 15.05.2017 तक 540.72 क्विंटल गेहूं की आपूर्ति हुई। जिसमें से डीलर ने उक्त अवधि में 496.25 क्विंटल गेंहू वितरित कर दिया। अतः डीलर के पास 44 क्विंटल 47 किलो ग्राम गेहूं होना चाहिए था जबकि उसके पास भौतिक सत्यापन पर 57 क्विंटल 70 किलो 400 ग्राम गेंहू मिला। इस प्रकार डीलर के पास 13 क्विंटल 23 किलो 400 ग्राम गेंहू मय वारदाना अधिक मिला। उक्त समस्त 57 क्विं. 70 किलो 400 ग्राम गेहूं मय बारदाना को श्री रामनिवास पुत्र खिल्लीराम मीना निवासी हरिया का मन्दिर तहसील सपोटरा स्टोर कीपर केवीएसएस करौली को सुपदर्गी में दिया गया।
5. डीलर की दुकान पर अक्टूबर 2016 से वक्त जांच तक 7850 लीटर केरोसीन की आपूर्ति हुई, जिसमें से डीलर ने उक्त अवधि में 4704.75 लीटर केरोसीन वितरित कर दिया। अतः डीलर के पास स्टॉक का अन्तिम शेष 3145.25 लीटर केरोसीन होना चाहिए था। किन्तु भौतिक सत्यापन पर 990 लीटर केरोसीन मिला। इस प्रकार डीलर के पास 2155.25 लीटर केरोसीन तेल कम मिला। उक्त समस्त 990 लीटर केरोसीन को मय 5 ड्रम लोहे के रिसाव रहित व ढक्कन सहित, एक ड्रम प्लास्टिक का रिसाव रहित व ढक्कन सहित जिनमें 990 लीटर केरोसीन भरा है श्रीमति लच्छो देवी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत हरिया का मन्दिर तहसील सपोटरा के कार्यकर्ता श्री हरसहाय जोगी पुत्र श्री नथुआ निवासी बलुआपुरा तहसील सपोटरा को सुपुर्दगी में

जिला कलक्टर
करौली

दिया गया एवं एक बॉट 1 किलोग्राम, एक वॉट 2 किलोग्राम, दो वॉट 20 किलोग्राम, एक वॉट 10 किलोग्राम, एक वॉट 5 किलोग्राम, एक बडा तुला काटा क्षमता 100 किलोग्राम, एक कीप, एक लीटर दूध की नाप, आधा लीटर दूध की नाप तथा टैन्ट का एक बडा भगोना, दो टुटे हुये ताले, एक टेविल, एक कुर्सी, खाली 25 कट्टे जुट के, तुला रोड वैलेंस 5 किलो क्षमता व दो लोहे के खाली ड्रम श्री हरी माली पुत्र श्री पुण्या माली निवासी गुलाबपुरा इनायती तहसील सपोटरा करौली भवन मालिक एफपीएस गुलाबपुरा को सुपुदर्गी में दिये गये।

इस प्रकार जांच दल द्वारा दिनांक 13.05.2017 से 15.05.2017 तक श्री किरोडी लाल मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत इनायती तहसील सपोटरा की जॉच की गई। जांच में डीलर द्वारा उक्त अनियमिततायें कारित कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के खण्ड 3 तथा इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो 6, 8, 9, 11, 17सी व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है एवं पीडीएस ऑर्डर 2015, एनएफएसए 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्तशुदा सामग्री को राजसात करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र का मद नं. 1 जिस तौर पर दर्ज है में प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान बन्द पाई गयी होना, दुकान बन्द होने का दुकान पर कोई कारण अंकित नहीं करना, दर्ज किया है जिससे स्पष्ट साबित होता है कि अप्रार्थी की दुकान का एवं गोदाम का कोई निरीक्षण जांच दल द्वारा दिनांक 13.05.2017 से 15.05.2017 तक नहीं किया गया है जबकि अप्रार्थी की दुकान पर उचित मूल्य दुकान का टाईटल बोर्ड प्रदर्शित या दुकान खुली हुयी थी तब दुकान बन्द होने का कोई कारण लिखने का अंकित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। दिनांक 13.05.2017 से दिनांक 15.05.2017 तक जांच दल खाद्य विभाग द्वारा जयपुर द्वारा गठित कर रवाना नहीं किया गया है। दिनांक 14.05.2017 की या 15.05.2017 को अप्रार्थी की दुकान व गोदाम का निरीक्षण जांच दल द्वारा नहीं किया गया है। यह सारे तथ्य गलत दर्ज किये है जो अप्रार्थी को स्वीकार नहीं है। प्रार्थनापत्र का मद नं. 2 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा माह अप्रैल 2017 के गेंहू का उपभोक्ताओं को पोश मशीन से वितरण किया गया है। किसी उपभोक्ता द्वारा शिकायत नहीं की गयी है। राशन सामग्री गोदाम व दुकान पर ही रखी हुयी थी स्टॉक मूलय एवं वितरण मात्रा रजिस्टर व पोश मशीन में रही है जिसका प्रदर्शन टाईटल बोर्ड में अंकित रहा है कोई फोटो प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है जिससे दुकान बन्द होना साबित होता हो एवं टाईटल बोर्ड का प्रदर्शन नही होना, निर्धारित स्थल पर राशन सामग्री नहीं रखना साबित होता हो मात्र कयास के तौर पर सारे तथ्य वेग व निराधार एवं झूठे प्रार्थनापत्र में राजनैतिक द्वेषता से प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक ने असर में आकर दर्ज किये है। जिनसे अप्रार्थी के विक्रय कोई अपराध घटित नहीं होता है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 3 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है।

अप्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से ही राशन सामग्री गेंहूं का वितरण किया गया है। कोई 4 किलो यूनिट का वितरण नहीं किया गया है। राशन कार्ड में जितनी यूनिट दर्ज होती हैं उसी के अनुसार 5 किलोग्राम के हिसाब से वितरण किया गया है। 25 किलो राशनकार्ड पर राशन गेंहूं का वितरण करने का गलत तथ्य अंकित किया गया है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है। सितम्बर 2016 में राशन सामग्री का वितरण गेंहू व केरोसीन का वितरण

जिला कलक्टर
करौली

रजिस्टर से सम्पूर्ण जिला करौली में हुआ है। इसके बाद माह अक्टूबर 2016 से दिनांक 15.05.2017 यानि माह अप्रैल मई 2017 तक वितरण गेंहू व केरोसीन का पोश मशीन से किया गया है। इन समस्त तथ्यों को प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा इस मद में जानबूझ कर छुपाया गया है। माह सितम्बर 2016 की राशन सामग्री स्टॉक रजिस्टर में शेष रही है एवं वितरण की गयी है को जांच रिपोर्ट में दर्ज नही किया गया है। मात्र पोश मशीन के वितरण के आधार पर यह सारी कार्यवाही को राजनैतिकवश अंजाम दिया गया है। दिनांक 13.05.2017 से दिनांक 14.05.2017 के कोई फर्दमौका पर्चा तैयार नही किये गये है। सारी कार्यवाही गलत रूप से तैयार की गयी है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कालाबाजारी व अनियमितता नहीं की गयी है। प्रार्थनापत्र का मद नं. 5 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है। माह सितम्बर 2016 में राशन सामग्री गेंहू व केरोसीन का वितरण जिला करौली में वितरण रजिस्टर से किया गया है। जिसके तहत केरोसीन का सितम्बर 2016 का वितरण, वितरण रजिस्टर से हुआ है। जिसे इस मद में प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जानबूझकर दर्ज नही किया गया है। यदि सितम्बर 2016 के स्टॉक व वितरण रजिस्टर के तहत सामग्री को मात्रा से आंकलन कर दर्ज किया जाता तब अप्रार्थी के विक्रय कोई अनियमितता नही पायी जाती परन्तु राजनैतिक रंजिश के कारण इस तथ्य को छुपाकर यह गलत तथ्यों पर आवेदन पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्ध प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 112/2017 थाना सपोटरा धारा 3/7 ई.सी.एक्ट 'माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा एसबी क्रीमिनल मिस पीटीशन न. 5865/2017 के निर्णय दिनांक 06.03.2018 से निरस्त की जा चुकी है। जिसकी प्रमाणित प्रति जवाब के साथ प्रस्तुत है एवं अप्रार्थी के विक्रय की गयी जांच रिपोर्ट दिनांक 13.05.2017 से दिनांक 15.05.2017 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के सिविल रिट याचिका संख्या 12855/2017 निर्णय दिनांक 09.08.2017 से निरस्त की जा चुकी है एवं राज्य सरकार द्वारा दायर द्वितीय सिविल स्पेशल अपील मु.नं. 1648/17 दिनांक 04.12.2017 को खारिज हो चुकी है। इन समस्त निर्णयों से अप्रार्थी के विरूद्ध कोई कार्यवाही धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत चलने योग्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 112/17 निरस्त हो जाने से दिनांक 15.05.2017 को तैयार किया गया सुपुर्दगीनामा की समस्त सामग्री अप्रार्थी को वापस लौटाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि अप्रार्थी के विरूद्ध दण्डिक कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है तब समस्त रसद सामग्री (जब्तशुदा) अप्रार्थी के वापस लौटाई जाये। निर्णय दिनांक 09.08.2017 व 04.12.2017 की फोटो प्रति जवाब के साथ पेश की है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया के दिनांक 11.05.2017 से 13.05.2017 तक जिले के भ्रमण के दौरान खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जॉच दल द्वारा श्री किरोडी लाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत इनायती तहसील सपोटरा की दिनांक 13.05.2017 से 14.05.2017 तक जॉच की गई जिसमें वक्त जॉच उचित मूल्य दुकान बन्द पाई गई, दुकान बन्द होने का दुकान पर कोई कारण अंकित नही करना, उचित मूल्य दुकान का टाईटल बोर्ड प्रदर्शित नहीं करना पाया गया। मौके पर उपभोक्ताओ ने बताया कि डीलर द्वारा माह अप्रैल 17 के गेहू का वितरण नहीं करना, निर्धारित स्थल पर राशन सामग्री का भण्डारण नहीं करना, स्टॉक मूल्य एवं वितरण मात्रा का प्रदर्शन नहीं करना पाया गया। उपभोक्ताओं ने बताया कि डीलर द्वारा 5 किलो ग्राम प्रति यूनिट के स्थान पर 4 किलो ग्राम प्रति यूनिट से गेंहू का वितरण करना। नियमित दुकान नहीं खोलना, मनमर्जी से

जिला कलक्टर
करौली

गेंहू का वितरण करना। एक राशनकार्ड पर अधिकतम 25 किलो ग्राम गेंहू ही देता है। डीलर की दुकान पर सितम्बर 16 से बक्त जॉच दिनांक 15.05.2017 तक 540.72 क्विंटल गेहूं की आपूर्ति हुई जिसमें से डीलर ने उक्त अवधि में 496.25 क्विंटल गेंहू वितरित कर दिया। अतः डीलर के पास 44 क्विंटल 47 किलो ग्राम गेहूं होना चाहिए था जबकि उसके पास भौतिक सत्यापन पर 57 क्विंटल 70 किलो 400 ग्राम गेंहू मिला। इस प्रकार डीलर के पास 13 क्विंटल 23 किलो 400 ग्राम गेंहू मय वारदाना अधिक मिला। डीलर की दुकान पर अक्टूबर 2016 से वक्त जांच तक 7850 लीटर केरोसीन की आपूर्ति हुई, जिसमें से डीलर ने उक्त अवधि में 4704.75 लीटर केरोसीन वितरित कर दिया। अतः डीलर के पास स्टॉक का अन्तिम शेष 3145.25 लीटर केरोसीन होना चाहिए था। किन्तु भौतिक सत्यापन पर 990 लीटर केरोसीन मिला। इस प्रकार डीलर के पास 2155. 25 लीटर केरोसीन तेल कम मिला। उक्त समस्त 990 लीटर केरोसीन को मय 5 ड्रम लोहे के रिसाव रहित व ढक्कन सहित, एक ड्रम प्लास्टिक का रिसाव रहित व ढक्कन सहित जिनमें 990 लीटर केरोसीन भरा है, को जब्त किया गया एवं एक वॉट 1 किलोग्राम, एक वॉट 2 किलोग्राम, दो वॉट 20 किलोग्राम, एक वॉट 10 किलोग्राम, एक वॉट 5 किलोग्राम, एक बडा तुला काटा क्षमता 100 किलोग्राम, एक कीप, एक लीटर दूध की नाप, आधा लीटर दूध की नाप तथा टैन्ट का एक बडा भगोना, दो टुटे हुये ताले, एक टेविल, एक कुर्सी, खाली 25 कट्टे जुट के, तुला रोड वैलेंस 5 किलो क्षमता व दो लोहे के खाली ड्रम को भी जब्त किया गया। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर जब्तशुदा सामग्री को राजसात् किये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान बन्द पाई गयी होना, दुकान बन्द होने का दुकान पर कोई कारण अंकित नहीं करना, दर्ज किया है जिससे स्पष्ट साबित होता है कि अप्रार्थी की दुकान का एवं गोदाम का कोई निरीक्षण जांच दल द्वारा दिनांक 13.05.2017 से 15.05.2017 तक नहीं किया गया है जबकि अप्रार्थी की दुकान पर उचित मूल्य दुकान का टाईटल बोर्ड प्रदर्शित था, दुकान खुली हुयी थी, तब दुकान बन्द होने का कोई कारण लिखने का अंकित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। दिनांक 13.05.2017 से दिनांक 15.05.2017 तक जांच दल खाद्य विभाग द्वारा जयपुर द्वारा गठित कर रवाना नहीं किया गया है। दिनांक 14.05.2017 की या 15.05.2017 को अप्रार्थी की दुकान व गोदाम का निरीक्षण जांच दल द्वारा नहीं किया गया है। यह सारे तथ्य गलत दर्ज किये है जो अप्रार्थी को स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा माह अप्रैल 2017 के गेंहू का उपभोक्ताओं को पोश मशीन से वितरण किया गया है। किसी उपभोक्ता द्वारा शिकायत नहीं की गयी है। राशन सामग्री गोदाम व दुकान पर ही रखी हुयी थी स्टॉक मूलय एवं वितरण मात्रा रजिस्टर व पोश मशीन में रही है जिसका प्रदर्शन टाईटल बोर्ड में अंकित रहा है। कोई फोटो प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है जिससे दुकान बन्द होना साबित होता हो एवं टाईटल बोर्ड का प्रदर्शन नही होना, निर्धारित स्थल पर राशन सामग्री नहीं रखना साबित होता हो। मात्र कयास के तौर पर सारे तथ्य वेग व निराधार एवं झूठे प्रार्थनापत्र में राजनैतिक द्वेषता से प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक ने असर में आकर दर्ज किये है जिनसे अप्रार्थी के विक्रय कोई अपराध घटित नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से ही राशन सामग्री गेंहूं का वितरण किया गया है। कोई 4 किलो यूनिट का वितरण नहीं किया गया है। राशन कार्ड में जितनी यूनिट दर्ज होती हैं उसी के अनुसार 5 किलोग्राम के हिसाब से वितरण किया गया है। 25 किलो राशनकार्ड पर राशन गेंहूं का वितरण करने का गलत तथ्य अंकित किया गया है। सितम्बर 2016 में राशन सामग्री का वितरण गेंहू व केरोसीन का वितरण रजिस्टर से सम्पूर्ण जिला करौली में हुआ है। इसके बाद माह अक्टूबर 2016 से दिनांक 15.05.2017

जिला कलक्टर
करौली

यानि माह अप्रैल मई 2017 तक वितरण गेंहू व केरोसीन का पोश मशीन से किया गया है। इन समस्त तथ्यों को प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा इस मद में जानबूझ कर छुपाया गया है। माह सितम्बर 2016 की राशन सामग्री स्टॉक रजिस्टर में शेष रही है एवं वितरण की गयी है को जांच रिपोर्ट में दर्ज नही किया गया है। मात्र पोश मशीन के वितरण के आधार पर यह सारी कार्यवाही को राजनैतिकवश अंजाम दिया गया है। दिनांक 13.05.2017 से दिनांक 14.05.2017 के कोई फर्दमौका पर्चा तैयार नही किये गये है। माह सितम्बर 2016 में राशन सामग्री गेंहू व केरोसीन का वितरण जिला करौली में वितरण रजिस्टर से किया गया है जिसके तहत केरोसीन का सितम्बर 2016 का वितरण, वितरण रजिस्टर से हुआ है जिसे इस मद में प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जानबूझकर दर्ज नही किया गया है। यदि सितम्बर 2016 के स्टॉक व वितरण रजिस्टर के तहत सामग्री को मात्रा से आंकलन कर दर्ज किया जाता तब अप्रार्थी के विक्रय कोई अनियमितता नही पायी जाती परन्तु राजनैतिक रंजिश के कारण इस तथ्य को छुपाकर यह गलत तथ्यों पर आवेदन पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्ध प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 112/2017 थाना सपोटरा धारा 3/7 ई.सी.एक्ट 'माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा एसबी क्रीमिनल मिस पीटीशन न. 5865/2017 के निर्णय दिनांक 06.03.2018 से निरस्त की जा चुकी है। जिसकी प्रमाणित प्रति जवाब के साथ प्रस्तुत है एवं अप्रार्थी के विक्रय की गयी जांच रिपोर्ट दिनांक 13.05.2017 से दिनांक 15.05.2017 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के सिविल रिट याचिका संख्या 12855/2017 निर्णय दिनांक 09.08.2017 से निरस्त की जा चुकी है एवं राज्य सरकार द्वारा दायर द्वितीय सिविल स्पेशल अपील मु.नं. 1648/17 दिनांक 04.12.2017 को खारिज हो चुकी है। इन समस्त निर्णयों से अप्रार्थी के विरूद्ध कोई कार्यवाही धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत चलने योग्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 112/17 निरस्त हो जाने से दिनांक 15.05.2017 को तैयार किया गया सुपुर्दगीनामा की समस्त सामग्री अप्रार्थी को वापस लौटाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि अप्रार्थी के विरूद्ध दण्डिक कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है तब समस्त रसद सामग्री (जब्तशुदा) अप्रार्थी के वापस लौटाई जाये। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। राज्य सरकार द्वारा गठित जांच दल द्वारा दिनांक 13.05.2017 व 14.05.2017 अप्रार्थी श्री ग्राम पंचायत इनायती के 1/3 भाग के राशन डीलर श्री किरोडी मीना की दुकान की जांच की गई जिसमें दुकान बंद मिलना, राशन सामग्री का टाइटल बोर्ड दुकान पर प्रदर्शित नहीं करना, माह अप्रैल 17 के राशन का वितरण नहीं करना, राशन सामग्री का निर्धारित स्थल पर भण्डारण नहीं करना, 25 किलो प्रति राशनकार्ड गेंहूं का वितरण करना, 5 किलो प्रति यूनिट के स्थान पर 4 किलो प्रति यूनिट गेंहूं का वितरण करना आदि अनियमितताएं पाई गईं। वक्त जांच अप्रार्थी राशन डीलर की दुकान की दुकान पर सितंबर 2016 से वक्त जांच तक आपूरित गेंहूं 540.72 क्विं. में से 496.25 क्विं. गेंहूं के वितरण उपरांत 44.47 क्विं. गेंहूं होने चाहिये थे जबकि वक्त जांच अप्रार्थी की दुकान पर 13.234 क्विं. गेंहूं अधिक पाये जाकर 57.704 क्विं. गेंहूं पाये गये। इसी प्रकार वक्त जांच अप्रार्थी राशन डीलर की दुकान पर अक्टूबर 2016 से वक्त जांच तक आपूरित केरोसीन 7850 लीटर में से 4704.75 लीटर केरोसीन के वितरण उपरांत 3145.25 लीटर केरोसीन होना चाहिये था जबकि वक्त जांच अप्रार्थी की दुकान पर 2155.25 लीटर केरोसीन कम पाया जाकर 990 लीटर केरासीन पाया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 13.05.2017 से दिनांक 15.05.2017 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के सिविल रिट याचिका संख्या 12855/2017 निर्णय दिनांक 09.08.2017 से

जिला कलक्टर
करौली

निरस्त की जा चुकी है एवं राज्य सरकार द्वारा दायर द्वितीय सिविल स्पेशल अपील मु.नं. 1648/17 दिनांक 04.12.2017 को खारिज हो चुकी है जिसमें प्रार्थी को पुनः जांच करने की स्वतंत्रता दी गई थी। प्रार्थी द्वारा पुनः जांच कर रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, करौली को निर्देश दिये जाते हैं कि तत्कालीन रिकॉर्ड के आधार पर पुनः जांच की जावे। जांचोपरांत यदि अप्रार्थी दोषी पाया जाता है अथवा कोई अनियमितता पाई जाती है तो पुनः प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया जावे अन्यथा जब्तशुदा रसद सामग्री को नियमानुसार पोश मशीन से वितरण करवा दिया जावे एवं माप–तौल के बांट आदि शेष सामग्री को अप्रार्थी को वापस लौटा दिया जावे। जांच होने तक जब्तशुदा सामग्री जब्त रहेगी। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली